उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्याः629/ 77-6-18-5(एम)/ 17टी.सी.2
लखनऊ: दिनांक 27 फरवरी, 2018

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए "उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017" के प्रस्तर-3.2.3 को निम्नवत् संशोधित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
प्रस्तर 3.2.3- निजी क्षेत्र द्वारा विकसित बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में 100 एकड़ तथा मध्यांचल में 150 एकड़ से अधिक भूमि पर विकसित औद्योगिक पार्को/ एस्टेटों तथा बुंदेलखंड, पूर्वांचल एवं मध्यांचल में 50 एकड़ से अधिक भूमि पर विकसित एग्रो पार्कों के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जायेंगे।	प्रस्तर 3.2.3- निजी क्षेत्र द्वारा विकसित बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में 100 एकड़ तथा मध्यांचल **एवं पश्चिमांचल** में 150 एकड़ से अधिक भूमि पर विकसित औद्योगिक पार्को/ एस्टेटों तथा बुंदेलखंड, पूर्वांचल एवं मध्यांचल में 50 एकड़ से अधिक भूमि पर विकसित एग्रो पार्कों के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जायेंगे।

2- अधिसूचना संख्या-691/ 77-6-17-5(एम)/ 17 दिनांक 13.07.2017 द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017" इस सीमा तक संशोधित समझी जाय। शेष शर्तें/ प्राविधान यथावत रहेंगे।

आलोक सिन्हा
अपर मुख्य सचिव

संख्याः 629(1) / 77-6-18-5(एम)/ 2017टीसी2 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) मुख्य सचिव/ अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र.।
(3) समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(6) प्रबन्ध निदेशक, पिकप/ उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम।

(7) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी, माल एवेन्यू, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत संशोधन उद्योग बन्धु की वेब-साइट पर आज ही अपलोड कराते हुए 150 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(8) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।

(9) निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(10) समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।

(11) गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र सिंह पटेल)
विशेष सचिव।

http://www.shasanadesh.up.nic.in